

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
बुधवार, दिनांक 03 मई 2017

Notice for Extraordinary General Meeting
Wednesday, May 03, 2017



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office : 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

सूचना.....	3	Notice	8
टिप्पणियां	4	Notes	9
व्याख्यात्मक कथन	6	Explanatory Statement	11
प्रॉक्सी फार्म	13	Form of Proxy	14
उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पत्र	15	Attendance Slip/Entry Pass	15

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम /Events	तारीख /Date
ई-वोटिंग अवधि E-Voting period	30 अप्रैल 2017 को सुबह 9.00 बजे से 2 मई 2017 को सायं 5.00 बजे तक From 9.00 a.m 30 th April, 2017 to 5.00 p.m 2 nd May, 2017
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	28 अप्रैल 2017 को सायं 5.00 बजे तक 28 th April, 2017 by 5.00 p.m
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	बुधवार, 3 मई 2017 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005 Wednesday, 3 rd May, 2017 at 10.30 a.m Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बँडके) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार 03 मई 2017 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय कार्यों का संचालन किया जाएगा :

1. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“दी एक्ट”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“दी स्किम”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बँडके) विनियम, 2004 (“द रेग्यूलेशन”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो “सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान आधार पर ₹10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹300/- करोड़ (रुपए तीन सौ करोड़ मात्र) के 88,888,888 इक्विटी शेयरों को ₹33.75 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा।

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 03 अप्रैल 2017 है।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।


यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र



(र. प्र. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : पुणे

दिनांक : 5 अप्रैल, 2017

टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के कार्य-व्यवहार के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) को नियुक्त करने के लिए हकदार होगा और यह आवश्यक नहीं कि यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) नियमावली, 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत प्रदान करने वाला, जिस लिखत से वह संबंधित है, उस संबंध में बैठक में वैयक्तिक रूप से वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत इस नोटिस के साथ संलग्न 'फॉर्म बी' में उल्लिखित प्रारूप के सिवाय वैध नहीं माना जाएगा.

प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार 28 अप्रैल 2017 को बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् शाम 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में प्राप्त हो जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो कि बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग नहीं ले सकता है या वोट नहीं कर सकता है, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, जिसमें कि यह पारित किया गया हो कि यह प्रति बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार 28 अप्रैल 2017 को बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् शाम 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय के ऊपर उल्लिखित पते पर जमा की गई थी.

4. मतदान अधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने धारित शेयरों के आधार पर, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं रहेगा.

विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से धारित है तो रजिस्टर में उल्लिखित पहले व्यक्ति के नाम को, जहां तक मतदान करने का संबंध है, एकल धारक के रूप में माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम से हैं तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और केवल वही बैठक में नामांकन करने, भाग लेने और वोट करने हेतु पात्र होगा।

5. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र (उपस्थिति पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है. शेयरधारकों के पास यह विकल्प है कि वे अपना मतदान ई-वोटिंग मंच का उपयोग करके दें. जो ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं वह अपना मतदान असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक को बैठक स्थल में आयोजित मतदान में दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों, का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें और यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें. शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी 'उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र' पर 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करें.

6. ई-वोटिंग प्रक्रिया:

क. असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिए अंतिम दिनांक

कार्यसूची मदों के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों की गणना बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017 से की जाएगी।

ख. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है. मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है. निर्दिष्ट दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे. रविवार दिनांक 30 अप्रैल 2017 को सुबह 9.00 बजे से मंगलवार दिनांक 2 मई 2017 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा.

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है-

क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें

<https://www.evotingindia.com/>

- (ii) शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें
- (iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
- ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
- ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें
- (iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेल वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- (v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- (vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन* प्रविष्ट करे (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें। यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iii) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- (vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब “पासवर्ड क्रिएशन” मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- (x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन” दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए “हां/नहीं” विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सम्मति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- (xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो “रिजॉल्यूशंस फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- (xiii) जिस संकल्प पर वोट करने का आपने निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- (xiv) एक बार संकल्प पर अपना वोट “कन्फर्म” करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

- (xv) आप वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xvi) यदि कोई डीमैट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरिफिकेशन) कूट प्रविष्ट करें और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें।
- (xvii) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट**
- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
- ङ) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

ख. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते हैं।

ग. कोई व्यक्ति, जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर लेता है और बैंक का शेयरधारक हो जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात् 26 अप्रैल 2017 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीकृत व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/बैंक को या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प “फॉरगॉट यूजर डीटेल/पासवर्ड” का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-200-5533 पर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं।

घ. रविवार दिनांक 30 अप्रैल 2017 को सुबह 9.00 बजे से मंगलवार दिनांक 2 मई 2017 को शाम 5.00 बजे तक ई-वोटिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा और इसके बाद बंद कर दिया जाएगा।

ङ. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक सेवाएं लिंक को भेंट दे सकते हैं।

ग. असाधारण सामान्य बैठक में मतदान प्रक्रिया

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही असाधारण सामान्य बैठक में मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे।

घ. असाधारण सामान्य बैठक में संवीक्षक

असाधारण सामान्य बैठक में आयोजित वोटिंग प्रक्रिया के लिए अन्य शेयरधारकों के साथ मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई संवीक्षक का कार्य करेंगे।

ङ. ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का परिणाम

असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

सेबी (आईसीडीआर) नियमावली 2009 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

- क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2019 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 11.50% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी 1 के रूप में होना चाहिए। बेसल III ढांचे के अनुसार 31.12.2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.43% था जिसमें 7.19% के सीसीबी सहित सीईटी 1 के साथ टियर-I पूंजी (सीसीबी सहित) 8.87% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक ने ₹500.00 करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।

- ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2017 के संप्रेषण एफ.क्र.एफ / 38/ 2014-बीओए द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के रूप में ₹300.00 करोड़ (रुपए तीन सौ करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है। निदेशक मंडल ने अपनी 24 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 300.00 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा।
- ग) निर्गम मूल्य का निर्धारण आज के दिनांक तक संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा।
- घ) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 में उल्लेख किए अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा।
- ड) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क	प्रवर्तकों की धारिता	953524561	81.61	1042413449	82.91
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	214809147	18.39	214809147	17.09
	कुल	1168333708	100.00	1257222596	100.00

- च) बैंक के इक्विटी शेयर छह माह से अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- छ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, जो कि प्रमुख शेयरधारक एवं बैंक का प्रवर्तक है, अतः बैंक के प्रबंधन / नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भारत सरकार की निर्गम पूर्व एवं पश्चात की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :


विवरण	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	953524561	81.61
निर्गम के पश्चात	1042413449	82.91

- ज) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेंगे।
- झ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से छह माह की अवधि, जो संबंधित दिनांक से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ट) सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाए कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- ठ) जहां आवश्यक हो, बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करने का वचन देता है।
- ड) बैंक यह वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है जिसका भुगतान नहीं हुआ है तो आबंटिती (allottee) द्वारा ऐसी रकम के भुगतान के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन सूची में रखा जाएगा।
- ढ) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट में विनिर्दिष्ट किए अनुसार इक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- ण) भारत सरकार ने संबद्ध दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में हैं।

निदेशक मंडल, सूचना में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

संकल्प में निहित प्रस्ताव में बैंक के किसी भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का कोई हित या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र


(र. प्र. मराठे)

स्थान : पुणे

दिनांक : 5 अप्रैल, 2017

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Bank of Maharashtra

(Head Office : 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 57 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Wednesday, 03rd May, 2017 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005** to transact the following business:

1. TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**"The Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"The Scheme"**) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (**"The Regulations"**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), Government of India (**"GOI"**), Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**SEBI ICDR Regulations**) as amended from time to time, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 88,888,888 equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of ₹ 33.75 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating ₹ 300/- Crore (Rupees Three Hundred Crore only) on Preferential basis to Government of India (**"GOI"**).

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 03rd April, 2017.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Director/s or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**


(R.P. Marathe)
Managing Director & CEO

Place: Pune
Date: 05th April, 2017

NOTES:

1. Explanatory statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect agenda item is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, situated at 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 28th April, 2017**.

3. Appointment of Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 28th April, 2017**.

4. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

5. Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the voting process to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. E-Voting process:

(a) CUT-OFF DATE FOR REMOTE E-VOTING AND VOTING AT THE EGM.

Voting Rights of the shareholders in respect of agenda item shall be reckoned as on Wednesday, 26th April, 2017.

(b) REMOTE E-VOTING.

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Sunday, 30th April, 2017 till 05:00 p.m. on Tuesday, 02nd May, 2017 and the e-voting platform will be disabled thereafter**.

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) Follow steps to cast E-vote:

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant **<BANK OF MAHARASHTRA >** on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- a) *Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.*
 - b) *A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.*
 - c) *After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.*
 - d) *The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.*
 - e) *A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.*
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - c) Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after the dispatch of the notice and is holding shares as of the cut-off date i.e. 26th April, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Bank/RTA. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following Toll free no.: 1800-200-5533.
 - d) The Portal will remain open for e-voting from 9.00 a.m. on Sunday, 30th April, 2017 till 05:00 p.m. on Tuesday, 02nd May, 2017 and will be disabled thereafter.
 - e) Shareholders may visit Bank’s website www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

(c) VOTING PROCESS AT THE EGM:

The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the EGM.

(d) SCRUTINIZERS AT EGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai shall act as Scrutinizer along with another shareholder for the voting process to be conducted at the Extraordinary General Meeting.

(e) RESULTS OF EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

The Results of the voting at the EGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

- a) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2019, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. The Bank’s Capital Adequacy Ratio as on 31.12.2016 was at 11.43% as per Basel III framework, of which Tier I capital (including CCB) was 8.87%, with CET 1 including CCB) of 7.19%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed a Capital requirement of ₹ 500.00 Crore for the financial year 2016-17.

- b) Government of India, Ministry of Finance, vide its communication F. No. F/38/2014-BOA dated 16th March, 2017 has informed the Bank to infuse additional equity capital to the tune of ₹ 300.00 Crore (Rupees Three Hundred Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India. The Board of Directors, in its meeting held on 24th March, 2017 had approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto ₹ 300.00 Crore to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank's business growth.
- c) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended till date.
- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- e) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No of Shares held	% share holding	No of shares held	% share holding
A	Promoter Holding	953524561	81.61	1042413449	82.91
B	Non Promoter Holding	214809147	18.39	214809147	17.09
	Total	1168333708	100.00	1257222596	100.00

- f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.
- g) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in the management/ control of the Bank.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:


Particulars	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue	953524561	81.61
Post Issue	1042413449	82.91

- h) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges.
- i) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- l) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- m) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- n) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank are interested or concerned in any manner in the proposal contained in the Resolution.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**


(R.P. Marathe)
Managing Director & CEO

Place: Pune
Date: 05th April, 2017



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

विनियमावली के विनियम 70 (iii) के अनुसार

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.	डीपी आईडी क्र.
(यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है)	ग्राहक आईडी क्र.
	(यदि डी-मैट स्वरूप में है)

मैं/हम ----- निवासी -----

----- जिला ----- राज्य -----

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती -----

निवासी ----- जिला ----- राज्य ----- को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती

----- निवासी ----- जिला -----

राज्य ----- को दिनांक बुधवार 03 मई, 2017 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय ,

लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारकों की असाधारण सामान्य बैठक और इसके स्थगित

होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ.

दिनांक ----- 2017 को हस्ताक्षरित

नाम:-----

पता:-----

कृपया ₹ 1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 28 एप्रिल, 2017 को कार्य-समाप्ति घंटे शाम 5.00 बजे या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

Form B PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)
(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.	DP ID No.	
	Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised

I/We, resident(s) of in the district of in the State of being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt. resident of in the district of in the State of OR failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on Wednesday, 03rd May, 2017 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office- 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2017.

Name.....

Address.....

.....

Please affix ₹ 1/- Revenue Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
 - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours at 05.00 P.M on Friday, 28th April, 2017.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

बुधवार दिनांक 3 मई 2017 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में
असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Wednesday, 03rd May, 2017 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सौंपा जाना है) / (To be surrendered at the time of registration of attendance)

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आईडी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

यहां से काटें / cut here



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

बुधवार दिनांक 3 मई 2017 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में
असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Wednesday, 03rd May, 2017 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS


(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाये) / (To be retained through out the Meeting)

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आईडी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र का हिस्सा शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना है।
Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.

असाधारण सामान्य बैठक स्थल पर पहुंचने हेतु रोड- मैप
Route Map to Reach Venue of Extraordinary General Meeting

स्थल: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Location: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक